SB776

CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

NO. S- 57002 of 2006

I hereby certify that "महावीर प्यूपिल्स एजुकेशनल सोसाइटी"
पता :- मकान नं. -23, गाँव बख्तावरपुर, टाण्डा, दिल्ली-110036.

has this day been registered* under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at Delhi on this 30th day of Oct. Two Thousand Six.

Fee of Rs. 50/- paid.

Balwant Singh
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT. OF NCT OF DELHI
DELHI.

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI Seal Registrar of Societies Delhi

This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association / person may kindly make necessary verifications (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract / assignment with then.

संस्था का ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम : महावीर प्युपिल्स एजुकेशनल सोसाइटी

2. संस्था का कार्यालय : मकान नं–23, गांव – बख्तावरपुर, टाण्डा, दिल्ली–110036

3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. उद्देश्य :

1. शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करना।

2. कीडा एवं खेल–कूद के क्षेत्र में माध्यमिक खोलना एवं उन्हें मान्यता शिक्षा बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों से संबंध व अनुरक्षित करना और सरकारी अनुमोदन लेना।

3. व्यवसायिक, तकनीकि एवं सांस्कृतिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

4. विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना।

5. समाज में पिछड़े हुए अपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

6. असहाय बच्चों के शैक्षणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने [illegible] निर्माण करना और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

7. प्रकाशन पुस्तिकाएं एवं धार्मिक पुस्तकों पत्रिका आदि का प्रकाशन करना एवं प्रचार करना।

8. देश विदेश और प्रदेश की समुद्देश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उद्देश्यों की पूर्ति करना।

9. समाज में निर्धन, बेरोजगार लोगों के उत्थान के लिए [illegible] ग्रामोद्योग बोर्ड/ खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना । ऋण /अनुदान प्राप्त कर [illegible] क्रियान्वयन करना जिससे खांदी तथा ग्रामोद्योग का [illegible] तथा बिक्री करना तथा इनसे प्राप्त आय को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चरिटेबल कार्यों में खर्च करना ।

10. समाज में बढ़ती कुरीतियों को समाप्त करना और [illegible] आगरूक करना ।

11. समाज की भलाई हेतु सांस्कृतिक शैक्षणिक कार्यकमों का आयोजन करना

12. पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना तथा शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना।

13. सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता तक [illegible] तथा सरकारी भागीदारी योजना के अर्न्तगत सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

14. समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे छोटी उम्र में शादी करना, [illegible] के खिलाफ कार्यक्रम को लागू करने में सरकार की [illegible]

सहायता करना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संगोष्ठि करना ।

15. समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बालविवाह, रूढ़िवादिता, बालश्रम, नशा आपसी रंजिश इत्यादि इसके अलावा अन्य गैर कानूनी कार्य अपराध में लिप्त होने को रोकने के संबंध में आवश्यक प्रभावशाली व कानूनी प्रयास करना ।

16. संस्था के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाना तथा समाज में राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना।

17. समाज [illegible] माध्यम के विकास के लिए टंकण, शॉर्टहैंड, कला, [illegible], पेंटिंग, संगीत, नृत्य, शारिरीक शिक्षा और योग आदि की शिक्षा देने के लिए विभिन्न केन्द्र स्थापित करना व इन प्रशिक्षण केन्द्रों का [illegible] मदद करना व उनका सुचारु रूप से संचालन करना।

18. नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना तथा समाज के नशा मुक्त समाज का प्रसार करना, समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, बहुजन हिताय बहुजन सुखय की नीति अपनाकर समाज आत्मनिर्भय बनाने का प्रयास करना ।

REGISTRAR OF SOCIETIES ★ DELHI

19. [illegible] प्रचार एवं संस्कृत भाषा के प्रचार [illegible] प्रसार [illegible] [illegible], पुस्तकालय की स्थापना करना तथा संस्कृत [illegible] का आयोजन करना ।

20. संस्था के सदस्यों व आम जनता के हितों व [illegible] के [illegible] लिए संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार करना व आवश्यकता [illegible] न्यायालयों में जाना तथा संबंधित अधिकारियों से मुलाकात [illegible]

21. प्राकृतिक आपदाओ जैसे– बाढ, सूखा, भूकम्प या तूफान आदि के समय पीडितो की चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर संभव सहायता प्रदान करना।

22. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे पेयजल (प्याऊ) आदि का निमार्ण, व्यवस्था एवं रखरखाव का प्रबन्ध करना, उद्यान आदि का निर्माण एवं व्यवस्था तथा इन संवसे सम्वन्धित संस्थाओ का सहयोग लेना–देना।

23. स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निजि व्यवस्था की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करना ।

24. शिक्षा, संस्कृतिक व अन्य सामाजिक गतिविधियां के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजना व कार्यकमक चलाना जैसे– प्रौढशिक्षा, [illegible] प्रतियोगिताएं प्रदर्शनी, जलसे सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, [illegible] कार्यक्रम आदि ।

25. सरकार द्वारा विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार – प्रसार जैसे क्षयरोग, कैंसर, एड्स आदि बीमारियों के बारे में सरकारी कार्यक्रम का ज्ञान देना एवं चिकित्सा सुविधा हेतु सही मार्गदर्शन करना ।

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

26. [illegible] रोगों जैसे एस.आई.डी. एवं एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता [illegible] जानलेवा बीमारियां की रोकथाम करना, समय – 2 पर स्वास्थ्य शिविर आदि लगाना ।

27. [illegible] के सहायार्थ विभिन्न योजनायें बनाना एवं संचालन करना ।

28. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के नाम से जमीन और या भवन आदि खरीदना या किराये पर लेना देना।

29. संस्था की समस्त आय आयकर की अधिनियम की धारा 11 (5) 1961 के तहत जमा की जायेगी ।

संस्था की चल या अचल संपत्ति से प्राप्त समस्त आय व कमाई ज्ञापन पत्र में उल्लेखित संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रयोग की जायेगी और लगायी जायेगी तथा इसका कोई भी लाभ संस्था के वर्तमान निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करनेवाले किसी एक या किसी अन्य सदस्य संस्था की चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या इसकी सदस्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करेगा।

6

28. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था के नाम में जमीन या भवन खरीदना या किराये पर लेना देना तथा अन्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी / गैर सरकारी बैंक आदि से ऋण लेना।

29. संस्था की समस्त आय आयकर अधिनियम की धारा 11 (5) 1961 के तहत जमा की जायेगी।

संस्था की चल या अचल संपत्ति से प्राप्त समस्त आय व कमाई ज्ञापन पत्र में उल्लेखित संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रयोग की जायेगी और लगायी जायेगी तथा इसका कोई भी लाभ संस्था के वर्तमान निर्वतमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी एक या किसी कोई सदस्य संस्था की चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या इसी सदस्यता के आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

Noida College of Physical Education
Dhoom Manikpur, Dadri, G.B.Nagar

4. कार्यकारिणी : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभा पंजीकरण संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 की धारा 2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कार्यकारिणी जिसको संस्था द्वारा संस्था का प्रबन्ध सौंपा गया है, इन वर्तमान सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय व पदनाम इस प्रकार हैं ।

क.सं.	नाम व पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त मकान नं –23, गांव बख्तावरपुर टाण्डा, दिल्ली–110036	अध्यापन	प्रधान
2	डॉ0 सुरेश कुमार लो पुत्र श्री केशवराम लो गांव व डाकखाना–नगलौनी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश	अध्यापन	उपप्रधान
3	श्री चमन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह गांव रायपुर, पोस्ट ऑफिस–बरौला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी.	अध्यापन	महासचिव
4	श्रीमति पुष्पलता पत्नी वनी सिंह आई–2, सैक्टर–22, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	अध्यापन	सचिव
5	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिंह आर–347, जलवायु विहार, सेक्टर–21, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	व्यापार	कोषाध्यक्ष
6	श्री राजेन्द्र पठानिया पुत्र श्री दिनानाथ पठानिया कोठी नं0 1–9–92, सन्त विला, जयसिंह पुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र–431004	नौकरी	सदस्य
7	श्री सूर्य सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह डी–76, सेक्टर–56, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	नौकरी	सदस्य
8	श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह मकान नं–126 ए, आदर्श नगर, तराना रोड, गन्नौर, सोनीपत हरियाणा।	समाज सेवा	सदस्य
9	श्री अशवनी गौर पुत्र श्री आर.एल. शर्मा एच.एम.आई.टी. आई.11, डी0 औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार उत्तरांचल–249401	व्यापार	सदस्य

10	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह गांव व डाकखाना– संगोवाल, तहसील–नकोदर, जिला जालन्धर, पंजाब	अध्यापन	सदस्य
11	श्री हबीब अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद गांव व डाकखाना– बख्तावरपुर, दिल्ली–110036	समाज सेवा	सदस्य
12	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह गांव व डाकखाना– बख्तावरपुर, दिल्ली–110036	नौकरी	सदस्य
13	श्री धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. श्री सुल्तान सिंह मकान नं आर0–199, जलवायु विहार, सेक्टर–21, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	व्यापार	सदस्य
14	श्री उदयभान सिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह दिवान 7, अशोक वाटिका, प्रभात नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश	व्यापार	सदस्य
15	श्री नीतिन बावा पुत्र स्व. श्री पी0एल0 बावा म. नं. 317 वार्ड नं. 1 गली [illegible] गुरदासपुर पंजाब	नौकरी	सदस्य
16	चमन लाल सैनी पुत्र श्री परमानन्द सैनी 01 सैनी कोटेज, विनय मार्ग, अलवर, राजस्थान–301001	समाज सेवा	सदस्य

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

5. इच्छुक व्यक्ति:—अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ज्ञापन पत्र के हम सभी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन महावीर प्युपिल्स एजुकेशनल सोसाइटी संस्था बनाने के इच्छुक है।

क्र.सं.	नाम व पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णकान्त मकान नं –23, गांव बख्तावरपुर टाण्डा, दिल्ली–110036	अध्यापन	
2	डॉ0 सुरेश कुमार लो पुत्र श्री केशवराम लो गांव व डाकखाना–नगलौनी, जिला उना, हिमाचल प्रदेश	अध्यापन	
3	श्री चमन सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह गांव रायपुर, पोस्ट ऑफिस–बरौला गौतम बुद्व नगर, यू.पी.	अध्यापन	
4	श्रीमति पुष्पलता पत्नी वनी सिंह आई–2, सैक्टर–22, नौएडा, गौतम बुद्व नगर, उत्तर प्रदेश	अध्यापन	
5	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रहलाद सिंह आर–347, जलवायु विहार, सेक्टर–21, नौएडा, गौतम बुद्व नगर, उत्तर प्रदेश	व्यापार	
6	श्री राजेन्द्र पठानिया पुत्र श्री दिनानाथ पठानिया कोठी नं0 1–9–92, सन्त विला, जयसिंह पुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्रा–431004	नौकरी	
7	श्री सूबे सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह डी–76, सेक्टर–56, नौएडा, गौतम बुद्व नगर, उत्तर प्रदेश	नौकरी	
8	श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री गोपी सिंह मकान नं–120 ए, आदर्श नगर, तराना रोड, गन्नौर, सोनीपत हरियाणा।	समाज सेवा	
9	श्री अशवनी गोर पुत्र श्री आर.एल. शर्मा एच.एम.आई.टी. आई.11, डी0 औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार उत्तरांचल–249401	व्यापार	

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

10	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री मक्खन सिंह गांव व डाकखाना– संगौवाल, तहसील–नकोदर, जिला जलहन्दर, पंजाब	अध्यापन	
11	श्री हबीब अहमद पुत्र श्री नजीर अहमद गांव व डाकखाना– बख्तावरपुर, दिल्ली–110036	समाज सेवा	
12	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह गांव व डाकखाना– बख्तावरपुर, दिल्ली–110036	नौकरी	
13	श्री धर्मवीर सिंह पुत्र स्व. श्री सुल्तान सिंह मकान नं आर0–199, जलवायु विहार, सेक्टर–21, नौएडा, गौतम बुद्व नगर, उत्तर प्रदेश	व्यापार	
14	श्री उदयभान सिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह दिवान 7, अशोक वाटिका, प्रभात नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश	व्यापार,	
15	श्री नीतिन बावा पुत्र स्व. श्री पी0एल0 बावा म. नं. 317 वार्ड नं. 9 गली [illegible] गुरदासपुर, पंजाब	नौकरी	
16	चमन लाल सैनी पुत्र श्री परमानन्द सैनी 01 सैनी कोटेज, विनय मार्ग, अलवर, राजस्थान–301001	समाज सेवा	

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

संस्था के नियम व उपनियम

1. संस्था का नाम:-- महावीरा प्युपिल्स एजुकेशनल सोसाइटी

2. सदस्यता

सदस्य बनने के लिये निम्नलिखित अहर्तताएं आवश्यक हैं।

1. कोई भी व्यक्ति स्त्री व पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम की नही जिसमे सरकारी नौकरी भी शामिल है वह सदस्य बन सकता है ।

2. वह किसी प्रकार से नैतिक दोषी न हो तथा किसी अपराध मे न्यायालय से किसी प्रकार दण्डित न किया गया हो ।

3. उद्देश्यों में अपनी पूर्ण आस्था रखता हो तथा नियम व उपनियम का पालन करने का वचन बद्ध हो । नियमों का उल्लंघन करनेवाले को संस्था से बाहर कर दिया जायेगा ।

4. साधारण सदस्य बनने के लिये सदस्य शुल्क 100/-/- वार्षिक शुल्क 200/-/- निर्धारित समय पर जमा करवाये ।

5. प्रत्येक पांच वर्ष बाद चुनाव हुआ करेगा ।

6. सदस्य की सदस्यता नियम के विरुद्ध समाप्त नहीं की जायेगी । उसकी सूचना सदस्यों को दी जायेगी ।

7. यदि समिति किसी सदस्य को मेम्बर बनाने से इंकार करेगी तो उसकी सूचना देगी ।

3. सदस्यता से वंचित होना :

- क. त्याग पत्र देने पर ।
- ख. मृत्यु अथवा पागल हो जाने पर ।
- ग. नियम व उपनियम में उल्लंघन करने पर ।
- घ. किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दंडित किये जाने पर ।
- ड. सालाना चंदा न देने की सूरत में ।
- च. सदस्य समाप्ति की सूचना सदस्य को दी जायेगी ।
- छ. यदि समिति किसी को समिति से बाहर निकालेगी, तो उसकी सूचना सबको दी जायेगी ।

REGISTRAR OF SOCIETIES DELHI

4. अपील : सभी अपीले समिति को आम सभा में की जा सकती है। आम सभा का निर्णय अंतिम व मान्नीय होगा । यह पैसा जीत के अनुसार होगा ।

5. पुनः प्रवेश : यदि संबंधित सदस्य सारी पिछली रकम जमा कर देगा तो उसे पुनः प्रवेश दिया जा सकता है इस संबंध में आम सभा का निर्णय अंतिम होगा । यह 3–5 पर लागू होगा ।

6. समिति को साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :

क. हर सदस्य को साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार होगा ।

ख. दो सप्ताह का नोटिस देकर कार्यकारिणी की अनुमति से समिति के रिकार्ड को चैक करने का अधिकार होगा ।

ग. समिति के चुनाव में वोट देने का अधिकार समिति के पहचान पत्र व सदस्य की लिस्ट के हर सदस्य को होगा ।

घ. एक समय में एक पद के लिये कोई भी सदस्य चुनाव में भाग ले सकता है । लेकिन उसके उपर समिति द्वारा निर्धारित कोई शुल्क बकाया न हो ।

7. समिति : समिति की कार्यकारिणी का गठन एवम पद निम्न प्रकार से होगें । सदस्य की कार्यकारिणी ने कम से कम 16 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होगें ।

1. प्रधान ....एक
2. उपप्रधान ....एक
3. महासचिव ....एक
4. सचिव ....एक
5. कोषाध्यक्ष ....एक
6. सदस्य ....11 से 16

8. कार्यकारिणी समिति के कर्तव्य:

क. समिति के कार्यकारिणी की बैठक एक माह में एक बार अनिवार्य होगी । इसके लिये सात दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा । आपातकालीन बैठक तत्काल बुला जा सकेगी ।

ख. समिति / सभा के समस्त कार्यों की देखभाल कार्यकारिणी करेगी ।

ग. समिति के कार्यों के लिए नौकरी आदि रखना, निकालना अथवा उनका वतन घटाना व बढ़ाना आदि – 2 कार्य कार्यकारिणी के जिम्मे होगा ।

REGISTRAR OF SOCIETIES ★ DELHI ★

घ. कार्यकारिणी राष्ट्रीय बैठक बुलाकर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आल इंडिया स्तर तथा प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लाक स्तर अस्थाई पदाधिकारी नियुक्त कर सकती हैं ।

9. समिति के साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्यः

क. समिति के समस्त सदस्यों को एकत्र करके साधारण सभा का गठन किया जायेगा, इसकी बैठक वर्ष के बाद होनी अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना दस दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी ।

ख. बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए 1/3 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा ।

ग. समिति की कार्यकारिणी का चुनाव 5 वर्ष बाद गुप्त मतदान द्वारा साधारण सभा में हुआ करेगा ।

घ. समिति का समस्त आय–व्यय का ब्यौरा आडित करवाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । जिसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी ।

ङ. यदि किसी भी सदस्य के उपर समिति का नियम के अनुसार शुल्क बाकी नहीं है तो वो किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता ।

10. समिति की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यः

1. प्रधान /अध्यक्षः

क. साधारण सभा और समिति की कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कार्य को सुचारू रूप से चलाने के आदेश देगा ।

ख. समिति सभी कार्यों एवं सदस्यों की देखभाल करेगा ।

ग. बराबर मत जाने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा ।

घ. अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर आलइंडिया के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आलइंडिया स्तर तथा प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लाक स्तर पर अस्थाई पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है ।

ङ. आवश्यकता पड़ने पर समिति / एसो. के कार्य हेतु ... तक व्यय करने का अधिकार होगा, इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

च. कार्यकारिणी कोई भी निणर्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं लेगी ।

2. उपाध्यक्ष : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकार का प्रयोग करना और उनको अपना पूर्ण सहयोग देगा ।

3. महासचिव :

14. नियम एवं उपनियम में संशोधन धारा – 12 : किसी भी नियम ए उपनियम में यदि कोई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो उसे कार्यकारिणी कर सकेगी किन्तु उसकी पुष्टि साधारण सभा करेगी । यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 के अनुसार ही होगा ।

15. ज्ञापन– पत्र में संशोधन धारा – 12 एवं 12 ए : यदि ज्ञापन – पत्र में कोई संशोधन करना अनिवार्य हुआ तो साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 एवं 12 ए के अनुसार किया जा सकेगा ।

16. कार्यकारिणी का समय : कार्यकारिणी का समय 5 वर्ष होगा जो सभा में हुये चुनाव की तिथि से माना जायेगा ।

17. वित्तीय वर्ष : वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक का होगा ।

18. आडिट लेख परीक्षक : हिसाब – किताब को आडिट करवाकर साधारण सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । आडीटर की नियुक्ति साधारण सभा करेगी ।

19. सूचना देना : किसी भी प्रकार की बैठक की सूचना विधिवत साधारण सभा की सूचना दस दिन एवं कार्यकारिणी सभा की बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व तथा अपातकालीन बैठक 2 घंटे के पश्चात् बुलाई जा सकेगी ।

20. कार्यकारिणी की वार्षिक सूची: धारा – 4 : हर वर्ष कार्यकारिणी सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची, नाम, पता पद समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा – 4 के अनुसार रजिस्ट्रार ... दिल्ली में जमा की जायेगी ।

21. विघटन धारा -- 13 : कार्यकारिणी की साधारण सभा 2/3 ... सदस्यों के बहुमत से इस समिति को विघटित किया जा सकता है कि समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 के अनुसार होगा ।

22. निपटान धारा – 14 : उपरोक्त अनुसार समिति को विघटन के पश्चात् उसकी चल व अचल संपत्ति को सदस्यों में नहीं बाँटा जा ...

धन की सुरक्षा : समिति के धन की सुरक्षा हेतु अध्यक्ष, महासचिव, तथा कोषाध्यक्ष तीनों पदाधिकारियों के नाम जोयन्ट खाता राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाक खाने में जमा किया जायेगा । और रूपया निकालने के लिए कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा । इसके अलावा अध्यक्ष, महासचिव में से किन्हीं एक के हस्ताक्षरों से रूपया निकाला जा सकेगा । हर पद के हिसाब – किताब का ब्यौरा कार्यकारिणी सभा से नियुक्त एक क्वालिफाईट आडिटर से आडिट करवायेंगें

9. त्याग पत्र देना : समिति का कोई भी सदस्य अथवा पदाधिकारी यदि त्याग पत्र देता है तो उसे कार्यकारिणी सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। और कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम होगा ।

10. कोरम गण पूर्ति : कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की बैठक में 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा इससे कम की उपस्थिति में बैठक स्थिगत कर दी जायेगी, और स्थिगत की गई बैठक पुनः तीन दिन पश्चात बुलाई जा सकेगी । और पुनः बुलाई गई बैठक कोरम का पूरा होना अनिवार्य नहीं होगा ।

11. रिक्त स्थान : कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा में गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा । बराबर मत आने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा । जिन सदस्यों का चंदा देना बकाया होगा, उन सदस्यों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा । नये चुने गये पदाधिकारियों की सूची इस पद से जाने वाले पुराने तीन पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर पंजीकरण अधिकारी दिल्ली दी जायेगी ।

चुनाव प्रणाली : कार्यकारिणी सभा के पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा में गुप्त मतदान द्वारा किया जायेगा । बराबर मत होने पर अध्यक्ष को अपना एक कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा जिन सदस्यों का चंदा बकाया ।

13. न्यायालय धारा -8 : यदि न्यायालय में कोई मुकदमा आदि दायर करना पड़ा तो वह समिति के नाम ही दायर किया जायेगा । और समिति के नाम के मुकदमा दायर करने अथवा करवाई करने का अधिकार केवल महासचिव को ही होगा जो कि समिति पंजीकरण अधिनियम् 1860 की धारा - 5 के अनुसार होगा ।

क. कार्यकारिणी की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों को बुलाना, कार्यवाही लिखना, नियमों को क्रियान्वित कराना, हर किस्म के पत्र व्यवहार करना और प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से चलाना होगा ।

ख. वार्षिक विवरण तैयार करके साधारण सभा में प्रस्तुत करेंगे ।

ग. समस्त सदस्यों का विवरण रखेंगें, आवश्यकता पडने पर समिति के कार्य के लिए रू 5000/– तक व्यय कर सकेंगें । इससे अधिक व्यय के लिए कार्यकारिणी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

4. सचिव : महासचिव की उनुपस्थिति में यह सभी मीटिंगों का आयोजन करेगा , मीटिंग के आयोजन में सदस्यों को एकत्रित करेगा तथा मीटिंगों, सम्मेलनों का कार्यभार लेगा देगा ।

5. कोषाध्यक्ष :

क. यह समिति का आय – व्यय का हिसाब किताब सुचारू रूप से रखेगा ।

ख. अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकारिणी द्वारा सभी बिलों का भुगतान रसीद लेकर करेंगे ।

ग. चंदा इकट्ठा करेंगे ।

घ. आवश्यकता पडने पर समिति के कार्य हेतु 5000/– रूपये तक खर्च कर सकेंगे इससे अधिक खर्च के लिए कार्यकारिणी को अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

6. सदस्य:

क. समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना ।

ख. बैठकों का पालन में सहयोग देना ।

पारित प्रस्तावों के अनुसार समिति के कार्यों में क्रियात्मक सहयोग देना ।

7. आय के स्रोत:

क चन्दे द्वारा ।

ख सदस्यता शुल्क द्वारा ।

ग. अनुदान, भारत सरकार द्वारा तथा समाज द्वारा ।

घ समिति की जो भी आय होगी, उसकी समिति के उद्देश्यों मे ही उपयोग किया जायेगा ।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

अपितु समिति पंजीकरण अधिनियम 1850 की धारा -- 14 के अनुसार के प्र. श. सदस्यों के बहुमत से उसे लेते ही समान उद्देश्यों वाली समिति को दान के रूप में दे दिया जायेगा ।

24 उपसमिति / शाखा : कार्यकारिणी सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए (भारत या विदेश)मे शाखा या उपसमिति का गठन करेगी।

25 सलाहाकार बोर्ड : कार्यकारिणी सभा किसी भी समय किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक सलाहाकार बोर्ड का गठन करने के लिए अधिकृत है। कार्यकारिणी सभा किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को इस सलाहाकार बोर्ड का अध्यक्ष / प्रधान नियुक्त कर सकती है।

26 वैधानिक कार्यवाही : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा–6 के अधीन उल्लेखित उपबन्धो के अनुसार संस्था अध्यक्ष / महासचिव के नाम से मुकद्दमा चला सकती है।

27 संशोधन : ज्ञापन पत्र तथा नियम एवं उपनियम में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मे यथाप्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा– 12 एवं 12 ए के अनुसार किया जायेगा।

28 अधिनियम को लागू करना : समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में है के समस्त इस समय पर लागू होगें ।

29 अनिवार्य प्रमाण पत्र : प्रमाणित किया जाता है कि यह समिति के नियमों एवं उपनियमों की सही प्रति है ।